क्रम संख्या–13

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 24 जनवरी, 2019 ई0

माघ 04, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या 90 / 2019 / 14(120) / XXVII(8) / 2018 / CTR–29

देहरादून, 24 जनवरी, 2019

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 6 वर्ष 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 526/2017/9(120) /XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं,, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में,-

(क)क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2), मद (छ) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा, सड़क मार्ग से गुड्स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में -

(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या

(ख) स्थानीय प्राधिकरण; या

(ग) सरकारी एजेंसियों,

जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कराधेय आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी,";

(ख) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"12.	बिजनेस फैसिलिटेटर (बीएफ) के द्वारा बैंकिंग कंपनी को दी जाने वाली सेवाएं	बिजनेस फैसिलिटेटर (बीएफ)	कोई भी कंपनी जो कराधेय भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
13.	किसी बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) के किसी एजेंट के द्वारा बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) को दी जाने वाली सेवाएं	बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) का एजेंट	ऐसा बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
14.	किसी पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सेवाएं (ऐसी सेवाएं जो सुरक्षा कार्मिकों की आपूर्ति करके दी गई हों) : बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात उन गार्ड की सेवाओं पर लागू नहीं होगी जो कि,- (i)(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियों, जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कराधेय आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की गई हो"; (ii) व्यापारिक निकाय जो कि उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजिशन स्कीम के लिए पंजीकृत हों ।	कोई भी व्यक्ति जो कि निगमित निकाय से भिन्न हो	ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कराधेय भू-क्षेत्र में अवस्थित हो";

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (छ), के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-
"(ज) इस अधिसूचना के प्रावधान जहां तक ये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों पर लागू होते हैं, संसद और राज्यों के विधान मंडल पर भी लागू होंगे ।.".

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी ।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No.90/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-29,** dated Dehradun, January 24, 2019 for general information:

No. 90/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-29
Dated Dehradun, January *24, 2019*

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8, No. 526/2017/9 (120) /XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, as amended from time to time, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table,-

(a) against serial number 1,in the entry in column (2), after item (g), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that nothing contained in this entry shall apply to services provided by a goods transport agency, by way of transport of goods in a goods carriage by road, to, -

(a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or

(b) local authority; or

(c) Governmental agencies,

which has taken registration under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making a taxable supply of goods or services.";

(b) after serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"12.	Services provided by business facilitator (BF)to a banking company	Business facilitator (BF)	A banking company, located in the taxable territory
13.	Services provided by an agent of business correspondent (BC) to business correspondent (BC).	An agent of business correspondent (BC)	A business correspondent, located in the taxable territory.

14.	Security services (services provided by way of supply of security personnel) provided to a registered person: Provided that nothing contained in this entry shall apply to, - (i)(a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or (b) local authority; or (c) Governmental agencies; which has taken registration under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) only for the purpose of deducting tax under section 51 of the said Act and not for making a taxable supply of goods or services; or (ii) a registered person paying tax under section 10 of the said Act.	Any person other than a body corporate	A registered person, located in the taxable territory.”;

(ii) in the Explanation, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-
“(h) provisions of this notification, in so far as they apply to the Central Government and State Governments, shall also apply to the Parliament and State Legislatures.”.

2. This notification shall come into force from the 1st day of January, 2019.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 वित्त / 60–2019–100+100 (कम्प्यूटर / रीजियो)।